

## उत्तर प्रदेश

### विद्युत आपूर्ति संहिता ( दसवाँ संशोधन), 2017

संख्या : उ0प्र0वि0नि0आ0 /सचिव/विनियम/आपूर्ति संहिता/2017/302

दिनांक 26-09-2017

#### अधिसूचना

#### विविध

जबकि विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 176 एवं 183 के अनुसार तथा इसकी ओर से समस्त अन्य शक्तियों के अधीन उ0 प्र0 विद्युत आपूर्ति संहिता, 2005 (नवाँ संशोधन) दिनांक 25 अगस्त, 2017 को अधिसूचित किया गया था।

और जबकि अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विद्युत आपूर्ति संहिता, 2005 के कुछ प्राविधानों में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है तथा उनके संशोधनों के लिए एवम् विद्युत आपूर्ति संहिता में अग्रेतर कुछ संशोधनों के लिए अनुरोध किया गया है।

और जबकि आपूर्ति संहिता, 2005 में कथित कठिनाइयों के कारणों से विद्युत आपूर्ति संहिता, 2005 में कुछ संशोधनों /प्रतिस्थापन/विलोपन के सम्बंध में संशोधन किये गये हैं।

और जबकि उपर्युक्त के परिणामस्वरूप तथा अन्य महत्वपूर्ण कारणों से आपूर्ति संहिता, 2005 के कुछ प्रावधानों में सुधार किया जाना आवश्यक हो गया और उनका संशोधन किया जाना है।

अब इस प्रकार से विद्युत अधिनियम की धारा 50 तथा आपूर्ति संहिता, 2005 के प्रावधानों द्वारा प्रदत्त अधिकारों तथा इसकी ओर से दिये गये सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग विद्युत आपूर्ति संहिता (दसवाँ संशोधन), 2017 नाम से निम्नानुसार संशोधित करता है:-

1-संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रभावी होना- (1) यह संहिता विद्युत आपूर्ति संहिता ( दसवाँ संशोधन), 2017 कहलाएगी।

(2) अधिकारिक गजट में अधिसूचित तिथि से यह प्रभावी होगी।

(3) धारा संख्या 8.2(vii) संशोधित की जाती है।

2- धारा संख्या 8.2(vii) निम्नानुसार संशोधित की जाती है:-

विद्यमान	संशोधित
यदि उपशमन प्रभार को अधिनियम में विहित धन के अनुसार उपभोक्ता से किया जाता है, तो अनुज्ञप्तिधारी द्वारा इकाई के निर्धारण के लिए कोई और प्रभार केवल टैरिफ के सामान्य दर पर होगा।	यदि उपशमन प्रभार को अधिनियम में विहित राशि के अनुसार उपभोक्ता से स्वीकार किया जाता है, तो अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उसके विरुद्ध आगणित विद्युत का राजस्व निर्धारण विद्यमान टैरिफ की दो गुनी दरों पर किया जायेगा।

आयोग के आदेशानुसार

(संजय श्रीवास्तव)  
सचिव

**Uttar Pradesh**  
**Electricity Supply Code (Tenth Amendment), 2017**

**No.: UPERC/Secy/Regulations/Supply Code/2017/302**

**Dated: 26.09.2017**

**Notification**

**Miscellaneous**

Whereas the U.P. Electricity Supply Code, 2005 (Ninth Amendment) was notified on 25<sup>th</sup> August, 2017, in accordance with Sections 176 and 183 of Electricity Act, 2003 and all other enabling powers in this behalf;

And whereas, the licensees are facing difficulties in some of the provisions of the Electricity Supply Code, 2005 and amendments thereof and have requested further for some amendments in the Electricity Supply Code.

And whereas, by reason of some of the said difficulties in the Supply Code, 2005 some addendums / substitution / deletions in the Electricity Supply Code, 2005 and amendments thereof, have been made.

And whereas, as a result of the above, and for other substantial reasons, it has become necessary to amend certain provisions of the Supply Code, 2005 and amendments thereof;

Now, therefore, in exercise of powers conferred by section 50 of the Electricity Act and the provisions of the Supply Code, 2005 and all other enabling powers in this behalf, the Uttar Pradesh Electricity Regulatory Commission makes the following Electricity Supply Code (Tenth Amendment), 2017 namely

1. **Short title and commencement** - (1) This Code shall be called the Electricity Supply Code (Tenth Amendment), 2017.  
  
(2) It shall come into force on the date of publication in the Official Gazette.  
  
(3) The clause 8.2(vii) is amended.

**2. The clause no. 8.2 (vii) shall be amended as follows:**

Existing	Amended
If the compounding charges are accepted from the consumer as per the sum prescribed in the Act, any further charges for assessment of units by the licensee shall be at 1.0 times of existing tariff only.	If the compounding charges are accepted from the consumer as per the sum prescribed in the Act, any further charges for assessment of units by the licensee shall be at 2 times of existing tariff only.

By the order of the Commission,

(Sanjay Srivastava)  
Secretary